कार्यालय अपीलीय अधिकारी (सूचना का अधिकार) एवं संचालक,
तकनीकी शिक्षा, भोपाल–462004 (म.प्र.)

क्र. सूअप्र/ संतशि/ 2010/ 460
भोपाल दिनांक : 30/8/10

राजेश मेहरा,
402, पंचम की फेल,
शीला किराना स्टोर्स के पास,
मालवा मिल, इंदौर–(म.प्र.) आवेदक/अपीलार्थी

विरूद्ध

लोक सूचना अधिकारी,
जी.एस.आई.टी.एस. इंदौर अनावेदक/ प्रतिअपीलार्थी

–000–

प्रथम अपील सुनवाई दिनांक 26.08.2010
(श्री राजेश मेहरा, इंदौर–म.प्र)

आवेदक/अपीलार्थी नियत समय के उपरांत विलंब से 03.45 बजे उपस्थित हुआ । कारण से संतुष्ट होने के उपरांत आवेदक का पक्ष श्रवण कर विलंब से उपस्थित मान्य की गई ।

अनावेदक/प्रति अपीलार्थी (लोक सूचना अधिकारी, जीएसआईटीएस, इंदौर की ओर से रजिस्ट्रार, श्री एम.एस. जीना उपस्थित हुए).

–000–

1/– अपीलार्थी द्वारा एक आवेदन लोक सूचना अधिकारी, जीएसआईटीएस, इंदौर को प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाही गई थी । आवेदक के अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे निर्धारित समयावधि में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई जिस कारण आवेदक द्वारा अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/– अपील की सुनवाई के दौरान आवेदक/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन, प्रथम अपील आवेदन, लोक सूचना अधिकारी, जीएसआईटीएस, इंदौर द्वारा की गई कार्यवाही एवं आवेदक स्वयं तथा अनावेदक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि के तर्कों का मेरे द्वारा श्रवण किया गया ।

3/– उपरोक्त के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्टतः सामने आया है कि लोक सूचना अधिकारी, जीएसआईटीएस, इंदौर द्वारा आवेदक को चाही गई जानकारी समयसीमा में उपलब्ध नहीं कराई गई और न ही इस संबंध में समयसीमा में आवेदक को किसी प्रकार की सूचना ही दी गई जिसके कारण आवेदक को प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत करना पड़ा ।

..2..

4/– प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य भी उजागर कि आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी लोक सूचना अधिकारी, जीएसआईटीएस, इंदौर के कार्यालय में उपलब्ध थी एवं आवेदक को यह जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम – 2005 की धारा –8 के तहत निर्धारित समयसीमा में आवेदक को उपलब्ध कराने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती परंतु लोक सूचना अधिकारी, जीएसआईटीएस, इंदौर द्वारा अनावश्यक विलंब एवं आवेदक को जानकारी समयसीमा मे उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण आवेदक को परेशानी उठानी पडी जिससे व्यथित होकर आवेदक द्वारा अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील प्रस्तुत करनी पड़ी । पूर्व में भी इस तरह के अपील प्रकरण जीएसआईटीएस, इंदौर से संबंधित मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए हैं (उदाहरणार्थ श्रीमती माधवी वर्मा विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी, जीएसआईटीएस, इंदौर) जिनमें अनावश्यक विलंब के कारण आवेदक को प्रथम अपील में जाना पडा है । उपरोक्त स्थिति सूचना अधिकार अधिनियम की मंशा के अनुरूप नहीं कही जा सकती है ।

5/– लोक सूचना अधिकारी, जीएसआईटीएस, इंदौर यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण समयसीमा में कर दिया जावे । लोक सूचना अधिकारी इस हेतु समयसीमा में जानकारी उपलब्ध न कराने वाले अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध सूचना के अधिकार के प्रावधानों के तहत की जानेवाली कार्यवाही भी सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में अनावश्यक अपील प्रकरण उत्पन्न न हों ।

6/–उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील समक्ष में निराकृत की गई । अपील की सुनवाई एवं सहमति स्वरूप आवेदक /अनावेदक के हस्ताक्षर अपील रजिस्टर में अभिलिखित किए गए हैं ।

7/–उक्त निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में आवेदक द्वारा अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार अपील की जा सकती है।

द्वितीय अपील	समय–सीमा
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल–462011(म.प्र.)	विनिश्चय की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर

हस्ता/-

अपीलीय अधिकारी एवं संचालक
तकनीकी शिक्षा संचालनालय,
भोपाल–म.प्र.

क्र. सूअप्र/ संतशि/10/461 **भोपाल दिनांक : 30/8/10**

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1/– श्री राजेश मेहरा, 402, पंचम की फेल, शीला किराना स्टोर्स के पास, मालवा मिल, इंदौर–(म.प्र.) ।

2/– लोक सूचना अधिकारी, जीएसआईटीएस, इंदौर ।

3/– लोक सूचना अधिकारी संचालनालय, तकनीकी शिक्षा, भोपाल ।

4/– संचालक तकनीकी शिक्षा के वरिष्ठ निज सहायक ।

5/– श्री देवेन्द्र मालवीय, शीघ्रलेखक, तकनीकी शिक्षा, भोपाल ।

6/– संचालनालय कंप्यूटर सेल ।

अपीलीय अधिकारी एवं संचालक
तकनीकी शिक्षा संचालनालय,
भोपाल–म.प्र.

C:\OFFICE\First appeal.doc

4/– प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य भी उजागर कि आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी लोक सूचना अधिकारी, जीएसआईटीएस, इंदौर के कार्यालय में उपलब्ध थी एवं आवेदक को यह जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम – 2005 की धारा –8 के तहत निर्धारित समयसीमा में आवेदक को उपलब्ध कराने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती परंतु लोक सूचना अधिकारी, जीएसआईटीएस, इंदौर द्वारा अनावश्यक विलंब एवं आवेदक को जानकारी समयसीमा मे उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण आवेदक को परेशानी उठानी पडी जिससे व्यथित होकर आवेदक द्वारा अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील प्रस्तुत करनी पड़ी । पूर्व में भी इस तरह के अपील प्रकरण जीएसआईटीएस, इंदौर से संबंधित मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए हैं (उदाहरणार्थ श्रीमती माधवी वर्मा विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी, जीएसआईटीएस, इंदौर) जिनमें अनावश्यक विलंब के कारण आवेदक को प्रथम अपील में जाना पडा है । उपरोक्त स्थिति सूचना अधिकार अधिनियम की मंशा के अनुरूप नहीं कही जा सकती है ।

5/– लोक सूचना अधिकारी, जीएसआईटीएस, इंदौर यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण समयसीमा में कर दिया जावे । लोक सूचना अधिकारी इस हेतु समयसीमा में जानकारी उपलब्ध न कराने वाले अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध सूचना के अधिकार के प्रावधानों के तहत की जानेवाली कार्यवाही भी सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में अनावश्यक अपील प्रकरण उत्पन्न न हों ।

6/–उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील समक्ष में निराकृत की गई । अपील की सुनवाई एवं सहमति स्वरूप आवेदक /अनावेदक के हस्ताक्षर अपील रजिस्टर में अभिलिखित किए गए हैं ।

7/–उक्त निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में आवेदक द्वारा अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार अपील की जा सकती है।

द्वितीय अपील	समय–सीमा
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल–462011(म.प्र.)	विनिश्चय की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर

अपीलीय अधिकारी एवं संचालक
तकनीकी शिक्षा संचालनालय,
भोपाल–म.प्र.

क्र. सूअप्र/ संतशि/10/461 भोपाल दिनांक : 30/8/10

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1/– श्री राजेश मेहरा, 402, पंचम की फेल, शीला किराना स्टोर्स के पास, मालवा मिल, इंदौर–(म.प्र.) ।

2/– लोक सूचना अधिकारी, जीएसआईटीएस, इंदौर ।

3/– लोक सूचना अधिकारी संचालनालय, तकनीकी शिक्षा, भोपाल ।

4/– संचालक तकनीकी शिक्षा के वरिष्ठ निज सहायक ।

5/– श्री देवेन्द्र मालवीय, शीघ्रलेखक, तकनीकी शिक्षा, भोपाल ।

6/– संचालनालय कंप्यूटर सेल ।

अपीलीय अधिकारी एवं संचालक
तकनीकी शिक्षा संचालनालय,
भोपाल–म.प्र.